

# कार्यालय पुलिस आयुक्त, जोधपुर

क्रमांक : पु.आ.-जोध/विशा/संग./2024/ 1242

दिनांक : 31.05.2024

- :: आदेश ::-

(आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

यतः मुझे अवगत कराया गया है कि दिनांक 04.06.2024 को लोकसभा चुनाव-2024 की मतगणना के दौरान जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाये रखने हेतु विशेष उपायों की आवश्यकता है।

अतः मैं इस तथ्य से सन्तुष्ट हूँ कि लोकसभा चुनाव-2024 की मतगणना को शांतिपूर्वक एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराये जाने एवं इस हेतु असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति बनाये रखने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने की परम् आवश्यकता है।

अतः मैं शरद चौधरी, पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, आयुक्तालय जोधपुर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लेते हुए यह आदेश पारित करता हूँ कि जोधपुर आयुक्तालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में :-

- कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल. गन, बी.एल. गन, आदि एवं अन्य- हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर-पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, और न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ में लेकर चलेगा।
  - यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, मतगणना ड्यूटी में तैनात अर्द्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं मतगणना ड्यूटी में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
  - सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी।
  - यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण हेतु आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाना में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा।
  - वृद्ध, दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते हैं। लाठी/बैशाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने हेतु कर सकेंगे।
  - राष्ट्रीय राईफल एसोसिएशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता तैयारी एवं भाग लेने जा रहे हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
- जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र से बाहर का कोई भी व्यक्ति जोधपुर आयुक्तालय सीमा में उपरोक्त किस्म के हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा, न ही सार्वजनिक स्थानों पर इसका प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा।
- कोई भी व्यक्ति जोधपुर आयुक्तालय में किसी भी स्थान पर व किसी भी समय पर शांति भंग करने, मतगणना प्रक्रिया को किसी प्रकार से बाधित करने अथवा उसमें व्यवधान उत्पन्न करने के लिए न तो स्वयं कोई कार्यवाही करेगा और न ही अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों को प्रेरित या प्रोत्साहित करेगा।

4. कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिक व जातीय सद्भावना को ठेस पहुँचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा, न ही भाषण, उद्बोधन देगा, न ही ऐसे ऑडियो, विडियो, कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करेगा न ही करवायेगा।
5. कोई भी व्यक्ति धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष किसी भी माध्यम से नहीं फैलायेगा, न ही इन्टरनेट तथा सोशल मिडिया यथा YouTube, Facebook, Twitter, Whats App, Instagram आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार करेगा।
6. कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही अन्य व्यक्ति को करवायेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थानों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा न ही इस हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा।
7. मतगणना के दौरान एवं मतगणना के पश्चात् किसी भी प्रकार के विजयी जुलूस/रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी।
8. राजस्थान पुलिस एक्ट, 2007 की धारा 44 के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा अधिकृत पुलिस अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जुलूस, सभा, धरना, रैली आदि का आयोजन नहीं करेगा। परन्तु यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।
9. ध्वनि विस्तारण का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नहीं किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा न ही करवायेगा। कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर, एम्पलीफायर, रेडियो, टेप अथवा अन्य ध्वनि प्रसारक यन्त्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा।
10. किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर या अन्य धार्मिक स्थान का सभा हेतु मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जावेगा।
11. कोई भी व्यक्ति मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 200 मीटर परिधि के अन्दर किसी भी तरफ के मोबाईल फोन, सेलफोन, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा न ही लेकर चलेगा। प्रतिबंध मतगणना ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
12. भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा।

चूँकि उक्त आदेश सार्वजनिक हित में हैं एवं किसी व्यक्ति विशेष को सूचना देना या आदेश तामील कराना सम्भव नहीं है। अतः उपरोक्त आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

यह आदेश निम्नांकित में से एक या अधिक रीति से उद्घोषित या प्रसारित किया जायेगा।

1. पुलिस आयुक्त, जोधपुर के कार्यालय एवं पुलिस आयुक्त, जोधपुर के अधीन सभी कार्यालय में/पुलिस थानों के सूचना पट्ट एवं मुख्य स्थानों पर चस्पा किया जाकर।

2. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), जोधपुर व उनके अधीन जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में आने वाले कार्यालयों के सूचना पट्ट पर चस्पा किया जाकर।
3. ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा एवं जोधपुर में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों एवं रेडियो, टी.वी./केबल टी.वी. के माध्यम से।

यह आदेश सम्पूर्ण जोधपुर आयुक्तालय में दिनांक 03.06.2024 से दिनांक 05.06.2024 तक प्रभावशील रहेगा।

उक्त आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश आज दिनांक 31.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी किया गया।



(शरद चौधरी)  
पुलिस उपायुक्त,  
(मुख्यालय, जोधपुर)

**प्रतिलिपि: निम्न को सादर सूचनार्थ -**

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं न्याय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चुनाव विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अति. महानिदेशक पुलिस, प्रशासन/कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, इंटेलेजेंस, राजस्थान, जयपुर।
5. पुलिस आयुक्त, जोधपुर।
6. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर संभाग, जोधपुर।
7. उप महानिरीक्षक पुलिस, एस.एस.बी. जोन, जोधपुर।
8. जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जोधपुर शहर/ग्रामीण।

**प्रतिलिपि: निम्न को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -**

1. पुलिस उपायुक्त, जिला पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात/अपराध, जोधपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी- जोधपुर शहर/लूणी/ओसियां/बिलाड़ा/भोपालगढ़।
3. पुलिस अधीक्षक, जी.आर.पी., जोधपुर।
4. समस्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्तगण, आयुक्तालय जोधपुर।
5. क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी, जोधपुर।
6. समस्त सहायक पुलिस आयुक्तगण, आयुक्तालय जोधपुर।
7. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी जोधपुर को स्थानीय समाचार पत्रों /मीडिया चैनल में प्रचार-प्रसार हेतु।
8. समस्त थानाधिकारीगण, आयुक्तालय जोधपुर।
9. प्रभारी, पुलिस नियन्त्रण कक्ष, आयुक्तालय जोधपुर।
10. नोटिस बोर्ड, कार्यालय आयुक्तालय जोधपुर।

(शरद चौधरी)  
पुलिस उपायुक्त,  
(मुख्यालय) जोधपुर